माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से बड़ी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ यह कहना चाहता हूँ कि महानगरों में विशेष रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के मजदूर भारी संख्या में हैं। वे विगत 10 वर्षों से लगातार दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद, कोलकाता आदि महानगरों में मजबूरन अपने बाल-बच्चों और परिवार को छोड़कर मजदूरी के लिए जाते रहे हैं। इसके कारण, उनके परिवार की दशा दयनीय होती जा रही है। मैं इस बात की सराहना करता हूँ कि माननीय मोदी जी ने गाँव, गरीब, किसान और मजदूरों के हित में, उनका जीवन-स्तर ऊँचा उठाने के विषय को गंभीरता से अपने संज्ञान में लिया है, परन्तु मैं एक बात पर विशेष जोर देना चाहता हूँ कि गाँव का किसान-मजदूर अपने कृषि-कौशल को छोड़कर पैसा कमाने के लिए शहर में जाकर मजदूरी का काम करता है, जबकि उसके लड़के-लड़कियों की शिक्षा-दीक्षा प्रभावित होती है। मजदूरों का परिवार एक वर्ष से तीन वर्ष तक अपने मुखिया की बाट जोहता रहता है, जो बहुत ही कष्टदायक है।

माननीय महोदय, महानगरों की तरफ लगातार होने वाले इस पलायन के कारण शहरों में बढ़ती हुई जनसंख्या से जलवायु-वायु प्रदूषण तथा पीने के पानी की समस्या अनियंत्रित होती जा रही है और इसके कारण अपराधों में भी वृद्धि हो रही है।

माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह माँग करता हूँ कि विशेष रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के मजदूरों की पीड़ा को ध्यान में रखकर विशेष नीति बनाकर इसमें कल-कारखानों एवं पूँजीपतियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, जिससे जीविकोपार्जन हेतु ग्रामों से मजदूरों का पलायन रुक सके, वे अपने परिवार की देखभाल कर सकें, उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई ठीक से हो सके और महानगरों को भारी जनसंख्या एवं जलवायु प्रदूषण से मुक्ति भी मिल सके। जय हिन्द।

प्रो. मनोज कुमार झा : महोदय, मैं स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्रीमती कान्ता कर्दम (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करती हूँ।

Failure of regulatory bodies in the finance sector

SHRI PRATAP SINGH BAJWA (Punjab): Thank you Chairman Sir, I am very grateful to you. सर, मैं आपकी अनुमति से यह मुद्दा आपके सामने लेकर आया हूँ। सारे देश में बैंकों के जितने डिपॉज़िटर्स हैं, उन सभी को इस टाइम बहुत ज्यादा distress है और उनके मन में डर-खौफ है।

सर, फाइनेंस मिनिस्टर भी यहाँ हैं। मैं आपके ज़रिए उनको बताना चाहता हूँ कि एक वक्त था जब हिन्दुस्तान के बैंक्स पर सभी को बहुत भरोसा था। जब वेस्टर्न वर्ल्ड के बैंक्स फेल हो रहे थे, अमेरिका के बड़े से बड़े इंस्टिट्यूशंस फेल हो रहे थे, उस समय हिन्दुस्तान के बैंकों के बारे में हमने कभी नही यह सुना था कि कोई बड़ा स्कैम हुआ हो। चलो, छोटे-मोटे तो चलते ही रहते हैं। जब से पंजाब नेशनल बैंक का नीरव मोदी और चौकसी वाला स्कैम शुरू हुआ.... उसके बाद आठ लाख रुपये हिन्दुस्तान के लोगों का जो आपके पब्लिक सेक्टर्स बैंक हैं, वह

[Shri Pratap Singh Bajwa]

अभी industrialists ने देना है, वह भी डूबा हुआ है, उसके बाद नॉन बैंकिंग IL&FS, वे सारे पैसे डूब गए और मैं आपके माध्यम से लेटेस्ट बताना चाहता हू कि यह Punjab & Maharashtra Co-operative Bank में हुआ। वर्ष 2004 में तकरीबन 1900 को-ऑपरेटिव बैंक्स हिन्दुस्तान में थे, अब उनकी गिनती 1500 रह गई है। हैरानी की बात यह है कि इस बैंक में टोटल डिपॉज़िट 12 हज़ार करोड़ रुपये था और आरबीआई की सख्त गाइडलाइन्स हैं कि अपना पैसा एक entity को नही देना है, एक फर्म को सारा पैसा नही देना है। आप हैरान होंगे कि आरबीआई की देख-रेख के बावजूद, इनके महकमे की देख-देख के बावजूद एक फर्म है एचडीआईएल, उसको 6500 करोड़ रुपये, कुल डिपॉज़िट 12 हज़ार करोड़, 70 परसेंट टोटल स्टेक जितना है, एक कंपनी को दे दिया। उसके अलावा जो चेयरमैन थे, उनका नाम वर्याम सिंह था। बाद में पता चला कि वे एचडीआईएल में स्टेक होल्डर भी हैं। He had two per cent stake in that company. मेरा कहने का मकसद यह है कि ये को-ऑपरेटिव बैंक्स 25 लाख रुपये से शुरू हो जाते हैं और आरबीआई और इनकी नज़र में वे बैंक नही आते हैं। मैं आज उनसे यह स्पेशल गुजारिश करने आया हूं कि सिर्फ जितना salaried class है, पेंशनर्स हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, स्मॉल ट्रेडर्स और स्मॉल फार्मर्स हैं, उन लोगों में घबराहट है कि हमारा पैसा... जैसे आज बैंक गिर रहे हैं तो यह ज़िम्मेवारी किसकी है? मैं अपनी बहन माननीय वित्त मंत्री जी से अपील करूंगा कि आप floor of the house पर हर डिपॉज़िटर को यकीन दिलाएं, क्योंकि आपकी गाइडलाइन्स के मुताबिक बैंक्स चल रहे हैं, को-ऑपरेटिव बैंक्स भी और पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी चल रहे हैं। आप यकीन दिलाएं कि आपका पैसा सेफ है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज़िम्मेवार है।

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश): महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करती हूं।

श्रीमती मीशा भारती : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करती हूं।

प्रो. मनोज कुमार झा : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री सुशील कुमार गुप्ता : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री संजय सिंह : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।

SHRIMATI AMBIKA SONI (Punjab): Sir, I also associate myself with the mention made by the hon. Member.

DR. L. HANUMANTHAIAH (Karnataka): Sir, I also associate myself with the mention made by the hon. Member.

SHRIMATI WANSUK SYIEM (Meghalaya): Sir, I also associate myself with the mention made by the hon. Member.

SHRI M. SHANMUGAM : Sir, I also associate myself with the mention made by the hon. Member.

SHRI RIPUN BORA : Sir, I also associate myself with the mention made by the hon. Member.

श्री सभापति: श्री राम कुमार वर्मा, डा. किरोड़ी लाल मीणा।

Death of birds due to pollution from refinery of the Sambhar Salts Limited, Rajasthan

श्री रामकुमार वर्मा (राजस्थान): माननीय सभापति महोदय, आपने बहुत ही चिंताजनक और संवेदनशील मामला, जो पक्षियों से संबंधित है, उस पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए आपके माध्यम से सदन और सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि मीडिया के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से सभी को जानकारी है कि राजस्थान में जयपुर जिले में साम्भर साल्ट लेक के नाम से एक झील, जो न केवल भारत में, बल्कि विश्व में जानी जाने वाली झील है उस के आसपास के एरिया में हज़ारों की तादाद में पक्षी देश-विदेश से वहां पर प्रवास के लिए आते हैं और बहुत-सी प्रजातियों के पक्षी, विभिन्न प्रजातियों के दुर्लभ पक्षी भी आते हैं। पिछले 20 दिन से वहां पर हज़ारों की तादाद में करीब 25 हज़ार पक्षी मर चुके हैं, उसके बावजूद वहां पर कोई समाधान और कार्रवाई नही हो रही है। उनमें ऐसे पक्षी भी हैं, जो दुर्लभ हैं और राज्य सरकार के स्तर पर अभी तक कोई उचित कार्रवाई नही हुई है। न्यायपालिका ने भी इसका संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए हैं। यह दुर्भाग्य और चिंता की बात है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इसका कोई समाधान निकाले और उचित कार्रवाई करे और आने वाले समय में भी कही न कही दूसरे इलाकों में यदि ऐसी घटनाएं होती हैं, तो आप उनका भी समाधान करें।

श्री नारायण लाल पंचारिया (राजस्थान): महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (राजस्थान): सभापति महोदय, यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लेक है, जिसमें ढाई से तीन लाख पक्षी आते हैं। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने राजस्थान की झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर झील घोषित किया है। इसलिए हम चाहेंगे कि केंद्र इसमें दखल दे और साम्भर साल्ट लिमिटेड ने 'रामसर' साइट कन्वेंशन संधि का उल्लंघन किया है, उसमें अवैध निर्माण कर दिए और करीबन डेढ़ सौ अवैध इकाइयां चल रही हैं।

महोदय, साम्भर साल्ट लिमिटेड द्वारा वेटलैंड रूल्स 2010 को भी धता बताकर वहां पर ढेर सारे कुएं खोद दिए हैं, गहरी खाइयां खोद दी हैं। महोदय, यहां पर करीब 25-30 हज़ार विदेशी पक्षी आते हैं, ऊंची उड़ान वाले और करीब 25-30 प्रजाति के पक्षी यहां पर हैं, जिसमें